जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर–482002
दूरभाष –9406900500
E-mail- jabalpur.sanchi@gmail.com

Ref.N0: 3724 / 176 /JSDSM/**2023**/Jabalpur Date: 13.09.2023

"साँची शॉपी" (रिटेल एजेंसी) संचालन हेतु आवेदन आमंत्रण

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जबलपुर शहर में "साँची शॉपी" (रिटेल एजेंसी) संचालन हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। साँची ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

वांछित दस्तावेज़ों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जाकर भौतिक रूप से दिनांक 22.09.2023 को सांय 03:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। "साँची शॉपी" (रिटेल एजेंसी) संचालकों की नियुक्ति में पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जावेगी। आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। प्राप्त आवेदनों पर जबलपुर दुग्ध संघ की समिति द्वारा आउटलेट्स पर जाकर उपलब्ध व्यवस्थाओं, अधोसंरचना, विक्रय की संभावनाओं का विश्लेषण कर अनुशंसाऐं प्रस्तुत करेंगी तदानुसार "साँची शॉपी" (रिटेल एजेंसी) का चयन किया जावेगा। आवेदन संबंधी अन्य कोई भी जानकारी जबलपुर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में या वॉटसएप नंबर 9165908569 पर प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा चयनित साँची शॉपी को रिटेलर मार्जिन के अलावा विक्रय लक्ष्य पूर्ण करने पर रू. 5000/– प्रतिमाह दुकान किराया भी दिया जावेगा।

इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जावेगा अन्य और किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक.................. मूल्य– 50/–

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

जबलपुर शहर में

“साँची शॉपी”(रिटेल एजेंसी)

आवंटन हेतु

आवेदन प्रपत्र वर्ष–2023

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला, इमलिया, अधारताल, जबलपुर

टोल फ्री नंबर–9406900500

E-mail : jdssanchi@gmail.com, jabalpur.sanchi@gmail.com

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
करौंदानाला, इमलिया, कटनी रोड़, जबलपुर–482002

''साँची शॉपी'' रिटेल एजेंसी हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 14.09.2023 से दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.09.2023 सांय 03:00 बजे तक
3.	आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र क्र. 01
4.	''साँची शॉपी'' रिटेल एजेंसी खोले जाने हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्ते	प्रपत्र क्र. 02
5.	शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 03
6.	''साँची शॉपी'' रिटेल एजेंसी हेतु अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 04

प्रपत्र क्र.01

"साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" हेतु आवेदन प्रपत्र

स्वयं का प्रमाणित फोटो चिपकाए

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

1. (अ) फर्म का नाम एवं पता ....
2. (ब) मालिक का नाम ....

   (स) पिता/पति का नाम ....

   (द) लिंग पुरूष/महिला ....
3. शैक्षणिक योग्यताः ....
4. पताः...

   अ) स्थाई पता : (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे) ....
   (दूरभाष/ मोबाइल न के साथ)
5. वर्तमान में किस ब्राण्ड का कितने लीटर पैक्ड दूध प्रतिदिन विक्रय कर रहे हैं :–

क.	ब्राण्ड का नाम	विक्रय लीटर/दिन	मार्जिन रू./लीटर	अन्य कोई प्रोत्साहन योजना

6. किस ब्राण्ड के दुग्ध पदार्थ एवं घी प्रतिदिन विक्रय कर रहे हैं :–

क.	ब्राण्ड का नाम	विक्रय लीटर/दिन	मार्जिन रू./लीटर	अन्य कोई प्रोत्साहन योजना

7. दुकान स्वयं की है या किराये की है। यदि किराये की है तो कितना किराया प्रतिमाह है :————————
8. FSSAI रजिस्ट्रेशन लाईसेंस की छायाप्रति ....
9. GST नंबर की छायाप्रति : ....
10. "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालन हेतु एजेंसी का नाम एवं पूर्ण पता ——

——

——

घोषणा– मैं "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

दिनांक .... आवेदक का नाम.....................................

स्थान .... हस्ताक्षर

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

क्र.	आवश्यक दस्तावेज़
1.	आधार कार्ड की छायाप्रति
2.	पेनकार्ड
3.	जी.एस.टी. नंबर
4.	एफएसएसएआई पंजीयन नंबर
5.	गुमास्ता/दुकान स्थापना पंजीयन
6.	एक माह का दैनिक पैकेट दूध विक्रय विवरण

नोट :–

1. उपरोक्त वर्णित दस्तावेज़ एवं आवेदन में वर्णित अन्य दस्तावेज़ आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

साँची शॉपी रिटेल एजेंसी हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्ते :–

1. आवेदक का चयन होने पर आवेदक को "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" हेतु सुरक्षा निधि राशि रू. 2,000/– दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. चयनित आवेदनकर्ता को "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" आवंटन होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि, अनुबंध निष्पादन आदि 07 दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन स्वीकृति के उपरांत साँची शॉपी रिटेल एजेंसी की कार्य अवधि एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा विक्रय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
4. सफल आवेदनकर्ता को "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" में पेंटिग, बिजली बिल, डीप–फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय के अनुरूप स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
5. "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालक को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन साँची दूध का विक्रय एवं रू. 2000/– के दुग्ध उत्पाद विक्रय करना अनिवार्य होगा। विक्रय लक्ष्य पूर्ति करने पर ही जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा रू. 5000/– मासिक किराया दिया जावेगा। जो कि रिटेलर मार्जिन के अतिरिक्त होगा।
6. "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालक की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा मासिक आधार पर की जायेगी। समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि मासिक लक्ष्य की प्राप्ति 100% नहीं की गई है तो जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा रू. 5000/– मासिक किराया नहीं दिया जावेगा।
7. सफल आवेदनकर्ता, "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालक के रूप में संबंधित मार्ग/क्षेत्र के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक सह परिवहनकर्त्ता/वितरक से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा आवेदनकर्ता को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नही दिया जाता है तो इसकी सूचना "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालक, दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।
8. सफल आवेदनकर्ता "साँची शॉपी रिटेलएजेंसी" संचालक के रूप में अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेगें, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी करेंगें तथा एडवांस कार्ड भी बनाएंगे।
9. "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" आवंटन पश्चात् संचालन हेतु आवंटी को रू.1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित शर्तों का अनुबंध नोटराइज्ड कराकर निष्पादन करना होगा। अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र क्र. 04 पर संलग्न है।
10. सफल आवेदनकर्ता, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेटस/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी संबंधित "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालक" की होगी।
11. आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तो का विस्तृत रूप से अध्ययन कर/पढ़कर आवेदन में मांगे गये आवश्यक अंर्हताओं की प्रतिपूर्ति कर आवेदन भरें। अन्यथा चयन प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार से जानकारी/दस्तावेजों में कम पाये जाने की दशा में इस प्रकार के आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
12. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रू 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का ''एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघो के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नही है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य है। आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है एवं न ही आवेदनकर्ता को किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है। यदि भविष्य में उक्त शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा आवंटी का आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। जो कि आवेदनकर्ता को मान्य होगा।'' (आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 पर प्रारूप संलग्न है, का अवलोकन कर प्रस्तुत करें।)

13. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (जबलपुर दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

14. विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनो में यदि ऐसा कोई आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका दुग्ध संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवदेक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जाएगा।

15. चयन उपरांत सफल आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नही किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

16. **चयन प्रकिया** :– "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" के संचालकों नियुक्ति में पारदर्शी प्रकिया अपनाई जावेगी। जिस हेतु दुग्ध संघ द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे। जबलपुर दुग्ध संघ की समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के आउटलेट्स पर जाकर व्यवस्थाओं, उपलब्ध अधोसंरचना, विक्रय की संभावनों का विश्लेषण कर अनुशंसाऐं प्रस्तुत की जावेंगी। तदानुसार "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" संचालकों का चयन किया जावेगा।

मैंने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तो तथा अनुबंध की शर्तो को भलीभांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मुझे आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तो तथा अनुबंध की सभी शर्तें मान्य है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.

03

शपथ पत्र ;केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूं कि –

1. मेरा एमपीसीडीएफ भोपाल, एवं संबद्ध किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नही है एवं ना ही मै आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है तथा मेरा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है/चल रहा है।
3. मेरे द्वारा "साँची शॉपी रिटेल एजेंसी" आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय नही किया जाएगा।
4. मेरे विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दज नहीं है, ना ही कोई प्रकरण विचाराधीन है।
5. यदि भविष्य में इस शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित कथन गलत पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा ंमार्ग आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा, जो कि मुझे मान्य होगी।''

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मै/हम अपनी सहमति देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक– ....

गवाह–

1 नाम ....
पता– ....
....
....
मो.नं.– ....
आधारकार्ड नं.– ....

2 नाम– ....
पता–................................
....
....
मो.न.– ....
आधार कार्ड नं.–.......................

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
नाम–
पता–......................
....
....
मो.नं.–

प्रथम पक्ष
जबलपुर सहकारी दुग्ध मर्यादित, जबलपुर,
जबलपुर (म0प्र0)

द्वितीय पक्ष
श्री .... पिता श्री ....
.... (म0प्र0)

꣸ साँची शॉपी **रिटेल** एजेंसी अनुबंध पत्र ꣸

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर (जिन्हें आगे ''प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ'' के नाम से संबोधित किया गया है) के पक्ष में अनुबंध पत्र लिख देने वाला श्री .... पिता श्री ...., निवासी–.............................. ...., (म0प्र0) मोबाईल नम्बर .... (जिन्हें आगे इस लेख में ''द्वितीय पक्ष/........................ स्थित साँची शॉपी संचालनकर्ता'' के नाम से सम्बोधित किया गया है) यह अनुबंध पत्र लिख देता हूँ कि :–

1. यह अनुबंध कार्यादेश जारी दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावशील किया गया है।
2. साँची शॉपी रिटेल एजेंसी के प्रारम्भ करने के पूर्व अनुबन्ध प्रक्रिया के तहत रूपये 1,000/– के नॉन ज्युडिशियल पेपर पर संघ के निर्धारित प्रारूप अनुसार स्वच्छ प्रति टंकण करवाकर प्रस्तुत करना होगा जो कि पूर्णतः अस्थाई रूप से एक वर्ष अवधि हेतु प्रभावशील रहेगा।
3. (अ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण/विक्रय सम्बन्धी व्यवस्था हेतु '' .... '' द्वितीय पक्ष को निम्नानुसार शर्तो के अधीन साँची शॉपी रिटेल एजेंसी के रूप में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से साँची शॉपी एजेंसी संचालनकर्ता अधिकृत किया गया है।

   (ब) यह कि नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संघ हित में एक माह की सूचना पर साँची शॉपी रिटेल एजेंसी निरस्त की जा सकेगी। द्वितीय पक्ष भी 30 दिन के अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त कर सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नही किया गया है तब इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष को एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा।

   (स) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

   (द) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा साँची शॉपी एजेंसी अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष/ साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता को निर्धारित अवधि में साँची शॉपी एजेंसी पर लगाई गई सभी सामग्री जैसे ग्लोसाईनबागर्ड अन्दर की दिवारों पर विनाईल व स्टेण्डी का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/दुग्ध संघ के अधिकारी को सुपुर्द करना होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति का अधिकार नही होगा।
4. **प्रतिभूति राशि** :– (अ) यह कि द्वितीय पक्ष/ साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता को इस नियुक्ति के समय प्रथम पक्ष/प्रबंध के निर्देशानुसार प्रतिभूति राशि प्रथम पक्ष के कार्यालय (जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर) में राशि रूपये 2000/– MR. No. ------------ ..../..... .... दिनांक .... को जमा की गई है, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(ब) यह कि भविष्य में अमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को होगा, जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष/साँची शॉपी एजेंसी संचालनकर्ता बाध्य रहेगा।

(स) यह कि प्रतिभूति राशि से साँची शॉपी रिटेल एजेंसी सम्बन्धी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपायी/वसूली करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को होगा।

(द) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियों की रूपये ..../– प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनातें भी इस इकरारनामें के जमानतदारों पर बंधनकराक होंगें।

5. यह कि द्वितीय पक्ष/साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता को जब भी दुग्ध संघ कार्यालय मे ंकिन्ही भी कार्य हेतु बुलाया जावे अथवा वे स्वयं किन्ही कार्यवश उपस्थित होते है तो ऐसी स्थिति में साँची शॉपी एजेंसी आवंटन/संचालन सम्बन्धी समस्त मूल दस्तावेज की नस्ती के साथ उपस्थित होंगें, इसके अभाव में किसी भी विषय पर चर्चा नही की जावेगी।

6. (अ) यह कि साँची शॉपी रिटेल एजेंसी से विक्रय किये जाने वाले पदार्थो का विक्रय लायसेंस (खाद्य लायसेंस) लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे। अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।

(ब) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा, शासन नाप–तौल, नगरनिगम, खाद्य निगम या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी कानून या नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।

(स) जिला प्रशासन द्वारा साँची शॉपी रिटेल एजेंसी हेतु समय–समय पर ली जाने वाली शुल्क एवं शास्ति की भरपायी की जिम्मेदारी द्वितीय पद्वा की रहेगा।

7. द्वितीय पक्ष को आवंटित इस साँची शॉपी एजेंसी को नीचे दर्शायी गयी समयावधि में खुला रखना होगा :

	समय	समय
प्रातः	.... बजे से	.... बजे
सायं	.... बजे से	.... बजे

8. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दुध एवं दुग्ध पदार्थो की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची शॉपी रिटेल एजेंसी खुलने व बंद होने की समय तालिका साँची शॉपी रिटेल एजेंसी पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही साँची शॉपी रिटेल एजेंसी खोलना होगा।

9. उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिए बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वंतत्र रहेगा।

10. साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता/एजेन्ट को दोनो समय सुबह–शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

11. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि का पूर्ण रूपये दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सकें।

12. साँची शॉपी संचालनकर्ता/एजेन्ट द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नही दी जावें। यदि किसी विशेष परिस्थति में नकदी राशि जमा करना अति आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावें।

13. यह कि द्वितीय पक्ष को दूध एवं दुग्ध पदार्थो का प्रदाय संघ के अधिकृत वितरक द्वारा किया जावेगा। वितरकों से माल प्राप्ति एवं वित्तीय व क्रेट–केन लेन–देन संबंधी व्यवहार स्वयं को रखना होगा, संघ द्वारा मांग करने पर रिकार्ड सहित प्रस्तुत करना होगा।

14. यह कि उपलब्धता एवं द्वितीय पक्ष की अग्रिम मांग पर स्थानीय अधिकृत वितरक द्वारा प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थो का नगद भुगतान द्वितीय पक्ष को करना, एवं वितरक से राशि, एवं क्रेट आदि का व्यवहार स्पष्ट रखना होगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल विक्रय करना होगा, इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की साँची शॉपी तुरन्त समाप्त की जा सकेगी।

16. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा माल की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील–संख्या आदि की जाँच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं पूर्ण सर्तकता से वितरण/विक्रय करेंगे, प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की सम्पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगीं

17. यह कि किसी भी शासकीय निकाय द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी ईकाई ही द्वितीय पक्ष देवेंगे एवं इस संबंध में तुरन्त प्रथम पक्ष अथवा स्थानीय अधिकृत वितरक को सूचित करेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की ईकाई या खुल्ला पदार्थ दिया तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष रहेगा।

18. यह कि साँची शॉपी रिटेल एजेंसी पर होने वाले व्यय जैसे विघुत, पानी द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किये जावेंगे एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग में देयक भुगतान करना होगा।

19. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित उपयोग नही करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करेंगे/किराये पर देंगे, अर्थात साँची शॉपी रिटेल एजेंसी का हस्तांतरण नही कर सकेंगे। विक्रय स्थल को स्वयं के व्यय पर स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे।

20. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है, एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जावेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

21. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दुध एवं दुग्ध पदार्थो, खाली क्रेट–केन, आदि का लेखा–जोखा प्रतिदिन द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी या अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

22. यह कि द्वितीय पक्ष/ साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता को आवंटित साँची शॉपी एजेंसी पर आने वाले उपभोक्ताओं हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना होगा, जो निःशुल्क में सामान्य टंकी/मटके में संग्रहित हो तथा निःशुल्क में पैकड्–शीतलीकृत हो न्युनतम दर पर विक्रय किया जा सकेगा। उक्त सुविधा उपलब्ध कराने पर दुग्ध पदार्थे के विक्रय में अच्छी विक्रय की संभावना रहेगी।

23. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष कार्यालय में उपस्थित होंगे।

24. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाए जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

25. यह कि सदर अनुबंध पत्र की शर्तो व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

26. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिये गये साँची शॉपी रिटेल एजेंसी के समय एवं दुग्ध पदार्थो के विक्रय दर, राशि सम्बन्धी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष तथा उनके वारिसों पर बंधनकाकर होंगे। यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष तथा उनके वारिसों पर समान रूप से बंधन कारक होगा।

27. यह कि द्वितीय पक्ष/साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालनकर्ता द्वारा अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ बिना नोटिस के अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

28. प्राप्त दुध का भुगतान प्रतिदिन **NEFT/RTGS** के माध्यम से नियमित संबंधित वितरक/सुपरस्टॉकिस्ट को करना अनिवार्य है।

29. साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की आवश्यकता को ध्यान में खते हुए दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मांग एक दिन पूर्व संबंधित वितरक/सुपरस्टॉकिस्ट को देना अनिवार्य रहेगा।

30. वर्तमान में विक्रेता दूध विक्रय मर्जिन दर रूपये 2.00 प्रतिलीटर प्रचलित है, भविष्य में दूध विक्रय मार्जिन में संशोधन किया जाता है तो पृथक से सूचित किया जावेगा। दुग्ध पदार्थो पर रिटेलर मार्जिन की जानकारी दुग्ध संघ से ली जा सकती है।

31. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रारंभिक तौर पर प्रतिदिन न्यूनतम 100 लीटर साँची दूध एवं राशि रूपये 2000 के साँची दुग्ध पदार्थ विक्रय लक्ष्य पूर्ण करने पर ही मासिक किराया रू. 5000/– दिया जावेगा।

32. "साँची शॉपी" रिटेल एजेंसी संचालक साँची के दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के अन्य उत्पादों के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के दूध/दुग्ध उत्पाद विक्रय नहीं करेगा।

33. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाईन की सुविधा देना अनिवार्य होगा।

34. यह कि उपरोक्त सभी शर्तो पूर्ण होने के उपरांत साँची शॉपी रिटेल एजेंसी संचालन हेतु प्रतिमाह 12 माह तक किराया रूपये 5,000/– का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। रिटेल मार्जिन इसके अतिरिक्त मिलेगा।

35. उपरोक्त शर्तो में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

36. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (जबलपुर दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

37. यह अनुबंध दोनों पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिए द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार ——————————————— को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

इस अनुबंध पत्र पर दिनांक .... को दोनों पक्षों की सहमति से सभी उपरोक्त शर्तो को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर आपसी सहमति के आधार पर एवं बिना किसी दबाव व पूर्ण होश–हवास में .... सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ... के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये है, जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

....

....

(प्रथम पक्ष)

(श्री .... पिता श्री.....................)

निवासी...

....

(म0प्र0) मोबाईल नंबर ....

(द्वितीय पक्ष)

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/